



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012023-241665
CG-DL-E-04012023-241665

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]
No. 19]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2023/पौष 14, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2023/PAUSHA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2023

का.आ. 22(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4653 (अ) , नई दिल्ली, दिनांक 03.10.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले में NH543 के कि.मी. 5.9 से कि.मी.13.8 (तहसील - वारासिवनी , जिला - बालाघाट) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "18.10.2022 " को "दैनिक भास्कर " और "द हितवादा " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले में NH-543 के कि.मी. 5.9 से कि.मी.13.8 (तहसील - वारासिवनी ,
जिला - बालाघाट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: बालाघाट		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: वारासिवनी				
	गांव का नाम: रजेगांव				
1	11	सरकारी	भूजल	0.0716	शासकीय भू-जल (11)
2	12	सरकारी	चरागाह	1.8725	शासकीय चरागाह (12)
3	7	निजी	कृषि/ सिंचित	0.156	आडकू पुत्र भैयालाल निवासी वारासिवनी (7/1)
4	7	निजी	कृषि/ सिंचित	0.121	कोताबाई पति करनलाल दशरे निर्मला हितेश भूपेश जगदीश मनीष अनीता पिता करनलाल (7/3)
5	96	सरकारी	भूजल	0.0862	शासकीय भू-जल (96)
			कुल	2.3073	

[फा. सं. NHA/PIU-KATNI/BALAGHAT-GONDIA/MP/BM/3(a)/2018/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th January, 2023

S.O. 22(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 4653 (E) New Delhi Dated 03.10.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH543 on the stretch of land from Km 5.9 to Km 13.8 (Tehsil - waraseoni, District- Balaghat) in the district of BALAGHAT in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dainik Bhaskar, Jabalpur**” and “**The Hitvada, Jabalpur**” both dated 18.10.2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in the exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH543 in the stretch of land from Km. 5.9 to Km. 13.8 (Tehsil - waraseoni, District- Balaghat) in the district of BALAGHAT in the State of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: BALAGHAT		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Waraseoni				
	Village: Rajegaon				
1	11	Government	Bhujal	0.0716	Govt. Bhujal 11
2	12	Government	Charagah	1.8725	Govt. Charagh 12
3	7	Private	Agriculture/ Irrigated	0.156	Aadku s/o Bhaiyalal R/o Waraseoni 7/1
4	7	Private	Agriculture/ Irrigated	0.121	Kotabai w/o Karanlal Dashre, Nirmala Hitesh Bhupesh Jagdish Manish Anita D/o Karanlal 7/3
5	96	Government	Bhujal	0.0862	Govt. Bhujal 96
			TOTAL	2.3073	

[F. No. NHAI/PIU-KATNI/BALAGHAT-GONDIA/MP/BM/3(a)/2018/3D2]

RAJESH GUPTA, Director